रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1993/फाल्गुन 4, 1914
No. 107] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1993/PHALGUNA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## कल्याण मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 22 फरवरी 1993

का. आ. 120(अ)—उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी तथा अन्य आदि बनाम भारत सरकार तथा अन्य आदि के मामले में 1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 में 16 नवम्बर, 1992 को दिए गए अपने बहुमत के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निदेश दिया है कि "भारत सरकार आज से चार महीने के अन्दर-अन्दर अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रूप से उन्नत लोगों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को अलग करने के लिए सगत और अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड का प्रयोग करते हुए आधारों को विनिर्दिष्ट करेगी तथा दिनांक 13 अगस्त 1990 के विवादित कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन ऐसे सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों (सम्पन्न वर्ग) को अलग करने के अध्यधीन होगा।

2. इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि आधारों जैसे कि "सम्पन्न वर्ग" की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक मानदण्डों को निर्धारित करने में काफी विशेषीकृत निपुणता की जरूरत पड़ेगी अतः उक्त सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के संबंध में भारत सरकार से सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | न्यायमूर्ति राम नन्दन प्रसाद (सेवानिवृत्त), पटना उच्च न्यायालय | अध्यक्ष |
| 2 | श्री एम. एन. पन्नार (समाज विज्ञानी), भूतपूर्व अध्यक्ष (संघ लोक सेवा आयोग) | सदस्य |
| 3 | श्री पी. एस. कृष्णन्, भूतपूर्व सचिव (कल्याण), भारत सरकार | सदस्य |
| 4 | श्री आर. जे. मजीठिया, भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, राजस्थान सरकार | सदस्य |

यह समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के क्रियान्वयन संबंधी उन अन्य मामलों में भी, जिनके बारे में भारत सरकार आवश्यक समझेगी, सिफारिश करेगी।

3. समिति का मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित होगा।

472 GI/93

4. समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी कार्यविधियां स्वयं तैयार करेगी। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग वे सभी सूचनाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जो समिति द्वारा अपेक्षित होगी। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य संबंधित इस समिति को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

5. यह समिति अन्य पिछड़े वर्गों में से "सम्पन्न वर्ग" को अलग करने संबंधी सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड पर अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक 10 मार्च, 1993 तक प्रस्तुत कर देगी।

[स. 12011/16/93-बी. सी सी. (सी)]

एस. एस. पंडित, संयुक्त सचिव
(अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग)

## MINISTRY OF WELFARE

## RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February, 1993

S.O. 120(E).—The Supreme Court, in its Majority Judgement in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990, Indra Sawhney and Others etc. Vs. Union of India and Others etc., delivered on 16th November, 1992 has, inter alia, directed that "within four months from today the Government of India shall specify the bases, applying the elevant and requisite socio-economic criteria to exclude socially advanced persons/sections ('cremy layer') from 'Other Backward Classes' and further that the implementation of the impugned O.M. dated, 13th August, 1990 shall be subject to exclusion of such socially advanced persons ('creamy layer')."

2. Having regard to the fact that a lot of specialised inputs would be needed to determine the bases viz. socio economic criteria for identification of the 'creamy layer', it has been decided to set up an Expert Committee consisting of :

1. Justice Ram Nandan Prasad (Retd.) High Court Patna ..Chairman
2. Shri M. L. Sahare (Social Scientist) Former Chairman, U.P.S.C. ..Member
3. Shri P. S. Krishnan, Former Secretary (Welfare) Govt of India ..Member
4. Shri R. J. Majithia, former Chairman Revenue Board, Government of Rajasthan ..Member Secretary

to make recommendations to the Government of India, in regard to the said socio-economic criteria. The Committee will also give recommendations on such other matters relating to the implementation of the judgment of the Supreme Court, as the Government of India may consider necessary.

3. The Headquarters of the Committee will be located at Delhi.

4. The Committee will devise its own procedures in the discharge of its functions. All the Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide such assistance as may be required by the Committee. It is hoped that the State Governments and Union Territory Administrations and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Committee.

5. The Committee shall submit its Report on the socio economic criteria for exelusion of the 'creamy layer' from Other Backward Classes latest by 10th March, 1993.

[No. 12011/16/93-BCC(C)]

M. S. PANDIT, Jt. Secy.
(M. & BC)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993